Identification of Freedom Fighters for Grant of Pension

1518. SHRI SHARDA MOHANTY: Will The Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are several freedom lighters in the country who arc not getting any
pension from Government;

(b) if so, the steps taken to identify such people and also grant pension for those freedom fighters; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) The freedom fighters who upply for grant of pension and fulfil the requirements as laid down under the scheme are sanctioned pension. I lowcvcr, many freedom fighters may not have applied for grant of pension under the scheme.

(b) and (c) There is no scheme to identify Ihe freedom fighters and to grant pension. I lowever, in 287 cases Government has granted pension suo molu.

Running of Hrnad-Gauge Trains between Almicdahad to Delhi via Anand and Godhra

1519. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOW DHURY:
SHRI G. G. SWELL:
SI IRI SARADA MOHANTY:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will Ihe Minister of RAILWAYS be pleased to stale:

(a) whether it is a fact that broad gauge trains arc not running from Ahmcdabad to Delhi
via Anand and Godhra broad-gauge track;

(b) whether it is also a fact that via Anand-Godhra track distance between Delhi and Ahmcdabad gets shorter compared to Ahmcdabad Delhi via Baroda by approximately
50 Kins.; and

(c) whether in view of anticipated suspension of supcrfasl trains due to conversion from Metre Gauge to Broad-Gauge track Ihe new (rain from Ahmcdabad via Anand-Godhra
would he launched?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) Yes, Sir.

(b) It is shorter by 29 Kms.

(c) There is no such plan at present.

आन्तरिक सुरक्षा को खतरे से संबंधित समाचार

1520. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1995 के दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" में" इल्टरनल सिक्योरिटी इन डेन्टर" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कतिपय तत्वों की मिलीभगत से तस्करी तथा हवाला के माध्यम से देश में 55,000 करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं जिनका उपयोग देश मे अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जा सकता है,

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में संस्कार की क्या प्रतिक्रिया है,

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त अवैध स्त्रोतों पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासनिक सुधार के उपाय किये है, और

(ड़) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) हालांकि तस्करी और अन्य गैर कानूनी माध्यमों से सिस्टम में बड़ी मात्रा में धन लगाने के बारे में समय-समय पर रिपोर्टे मिली हैं, लेकिन सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ड़) बम्बई बम विस्फोट की घटनाओं के बाद और उसके बाद यह पता लगने पर कि देश में बड़ी मात्रा में शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थो की तस्करी की गई है, तस्करी की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं । केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से तटवर्ती क्षेत्रों में सभी कार्रवाई का समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया हैं। गहरे समुद्र में और तट के साथ-साथ गहन गश्त लगाने के लिए नौसेना, तटरक्षकों और सीमा शुल्क को उपयुक्त हिदायतें भी जारी की गई हैं।